राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–500 / 2017

मदन लाल खटीक

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन हसनपुरा, खातीपुरा रोड़, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीकर संभाग, सीकर।
4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सीकर संभाग, सीकर।
5. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ग्रामीण), सब डीवीजन, सीकर जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एल. कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति मस्टरोल में हेल्पर के पद के लिए हुई। अपीलार्थी वर्तमान में लिपिकीय कार्य कर रहा है। अपीलार्थी ने समय–समय पर यह आपत्ति जाहिर की कि अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर स्थाई किया जाये। अपीलार्थी चूंकि लिपिकीय कार्य कर रहा है और अपीलार्थी के पास अनुभव एवं योग्यता भी है, इस आधार पर अपीलार्थी को स्क्रीनिंग के आधार पर अपीलार्थी को स्टोर मुंशी के पद पर नियमित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को स्टोर मुंशी के पद पर नियमित किया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> "It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be accepted and allowed and by an appropriate order or direction, the respondents may kindly be directed to grant promotion to the appellant on the post of LDC or accord the status of Store Munshi w.e.f. the date, from which the persons junior to him, have been accorded the said benefits on the said posts, with all

consequential benefits and the arrears whereof be also paid to him with interest @ 12% p.a.

Any other appropriate order or direction, which this learned Tribunal may deem just and proper in the facts of the present case, may also be passed in favour of the Appellant."

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को मस्टररोल पर जलयोजना बेरी में पम्प संचालन कर पेयजल आपूर्ति एवं लिकेज चोकेज निकालने व दुरूस्त करने के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था। दिनांक 05.11.1984 के आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में किसी प्रकार टेबल वर्क/स्टोरमुंशी का कार्य नहीं किया है। प्रत्यर्थी विभाग में मस्टररोल पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को दो वर्ष पूर्व होने के उपरान्त ही सहायक/बेलदार/चौकीदार के पद पर नियुक्त किया जाता है एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने के उपरान्त ही कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति रिक्त पदों पर की जाती है। अपीलार्थी द्वारा लगातार जलयोजना बेरी पर सहायक के पद पर कार्य किया गया है तथा उसके पश्चात् अपीलार्थी को सहायक के पद पर नियमित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा कोई भी किसी प्रकार का लिपिकीय कार्य नहीं किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा मांगी जाने वाली सूचना में उन कर्मचारियों का नाम प्रस्तावित करना था, जो मस्टररोल नियुक्ति से ही टेबल वर्क कर रहे थे। उपशासन सचिव, द्वितीय जन स्वा. अभि. विभाग के पत्र दिनांक 01.07.2013/03.07.2013 द्वारा निर्देश दिये गये कि लगातार टेबल वर्क करने वाले ही कर्मचारियों के नाम स्टोरमुंशी हेतु प्रस्तावित करें। अपीलार्थी के पास किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण एवं कभी भी टेबल वर्क/स्टोरमुंशी का कार्य नहीं करने के कारण अपीलार्थी का नाम पदोन्नति में शामिल नहीं होना है। अपीलार्थी को सभी परिलाभ दे दिये गये हैं एवं तकनिकी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक जलयोजना बेरी पर पम्प संचालन का कार्य किया है एवं वर्तमान में भी जलयोजना बेरी पर पम्प संचालन व पेयजल आपूर्ति का कार्य कर रहा है। अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कमेटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण एवं एक भी अनुभव प्रमाण पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण तथा लिवरेज का भुगतान लगातार दिये जाने के कारण नाम प्रस्तावित नहीं किया गया।

अपीलार्थी शैक्षणिक योग्यता के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की पात्रता (अनुभव प्रमाण पत्र) एवं टेबल वर्क कार्य आदि नहीं करने के कारण स्टोरमुंशी पद की प्रस्तावित सूची में नाम शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस से सम्बन्धित वांछित दस्तावेज (कार्य अनुभव प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा विभागीय मापदण्डों के अनुसार स्टोरमुंशी पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने के कारण वह किसी प्रकार से स्टोरमुंशी पद के योग्य नहीं है। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा लगातार जलयोजना बेरी पर सहायक के पद पर कार्य किया गया है तथा उसके पश्चात् अपीलार्थी को सहायक के पद पर नियमित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा कोई भी किसी प्रकार का लिपिकीय कार्य नहीं किया गया है।

3. हमने दोनो पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को मस्टररोल पर लिपिकीय कार्य हेतु नहीं रखा गया था, अपितु अपीलार्थी की नियुक्ति मस्टररोल पर पेयजल आपूर्ति एवं लिकेज चोकेज निकालने व दुरूस्त करने के कार्य हेतु की गयी थी। प्रत्यर्थी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी के पास अनुभव प्रमाण पत्र एवं टेबल वर्क/स्टोरमुंशी का कार्य करने का अनुभव नहीं है। इस कारण से अपीलार्थी को स्टोरमुंशी पद के लिये प्रस्तावित सूची में शामिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी को सहायक पद पर नियमित किया गया है।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को स्टोरमुंशी के पद पर कार्य करने का कोई अनुभव हो, यह अपीलार्थी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को स्टोरमुंशी के पद पर नियमित नहीं किया गया है, बल्कि सहायक के पद पर नियमित किया गया है, जो प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित मापदण्ड आधार पर किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार हम नहीं पाते हैं।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)